कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / साप्र / बी–2 / 4413 / 63 / 2020 / 306 दिनांकः– 01.08.2022

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा

विषयः– विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक परीविक्षाकाल में कार्यरत कार्मिक / नियमित कार्मिकों को द्वितीय शनिवार के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश मार्गदर्शन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक / सहायक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार का अवकाश संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प.10(80) शिक्षा–2 / क्षतिपूर्ति अवकाश शनिवार / 2021 दिनांक 23.03.2022 एवं दिनांक 08.03.22 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, औषधालयों एवं पशु चिकित्सालयों हेतु पांच दिवसीय कार्य सप्ताह आदेश लागू नहीं होकर सामान्य प्रशासन ग्रुप–2 विभाग, शासन सचिवालाय का आदेश क्रमांक एफ. 1 (51) सा.प्र. / 11 / 64 दिनांक 26.06.1975 लागू है। उक्त आदेश दिनांक 26.06.1975 अनुसार प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जावेगा।

अतः शासन से प्राप्त उक्त मार्गदर्शन अनुसार राजकीय विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक / सहायक कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश के दौरान कार्य करने पर राजस्थान सेवा नियम, खण्ड–द्वितीय के परिशिष्ठ– I, भाग–III 'क' के प्रावधान लागू होंगे।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–माध्य / साप्र / बी–2 / 4413 (63) / 2020 / 306 दिनांक 01.08.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. स्टाफर ऑफिसर निदेशक निजी अनुभाग
02. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
03. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
04. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा / प्रारंभिक शिक्षा
05. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
06. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

[3]III क. छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति (आकस्मिक अवकाश)

1. रविवारों तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों में अनिवार्यतः लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग के सदस्य को जितने दिन तक उस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया गया हो उतने ही दिनों तक उसे क्षतिपूर्ति (आकस्मिक) अवकाश देना उचित होगा, सिवाय उस दिशा में जब कि उक्त उपस्थिति दण्ड के रूप में उस पर लागू की गई हो। इस प्रकार प्राप्त किये गये क्षतिपूरक अवकाश साधारण रूप में देय 15 आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होंगे।

2. उक्त अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का हकदार किसी राजकीय कर्मचारी को बनाने हेतु उसकी उपस्थिति प्रभारी राजपत्रित अधिकारी के पूर्व लिखित आदेशों के अधीन होनी चाहिये, जिसे उस आदेश में यह लिखना चाहिए आया उक्त उपस्थिति अनिवार्य है अथवा नहीं।

वास्तव में अर्जित हुई सीमा तक क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमति उसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जो सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है और उन्हीं शर्तों के अधीन रहेगी जो आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्धारित है।

टिप्पणी—उपरोक्त निदेश पर रविवार या अन्य छुट्टी के दिन उपस्थित होने के लिए कोई वाहन या अतिरिक्त वेतन स्वीकृत नहीं होगा।

[4]**निर्देश**—उपरोक्त आदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 1-1-1964 से लागू होगा।

[5]**राजस्थान सरकार का निर्णय**—क्षतिपूरक आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी आदेश अधिकारियों के निजी कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होगा, नामार्थ निजी सहायकगण, आशुलिपिकगण, न्यायालयों के वाचकगण (रीडर्स) आदि, क्योंकि उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने कार्यालयाध्यक्षों के साथ ऐसी छुट्टियों में भी कार्य करेंगे और इसलिए वे आकस्मिक अवकाश पाने के हकदार नहीं हैं।

---

1. परिपत्र क्र.प.14(2)कार्मिक(क-5)21 दिनांक 1-10-1982
2. आदेश सं. एफ. 1(8) वित्त (नियम)/95 दिनांक 20-2-2002 द्वारा जोड़ा गया।
3. वित्त विभाग आदेश सं.एफ. 5(आर)56दिनांक 11-1-1956 द्वारा निविष्ट।
4. वित्त विभाग आदेश सं. 1(3)वि.वि./व्यय-नियम/64 दिनांक 12-1-1964 द्वारा निविष्ट।
5. वित्त वि. आज्ञा सं.7(18)एफ.11/53, दिनांक 22-10-1956 द्वारा निविष्ट।

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन ग्रुप-2 विभाग
****

क्रमांक एफ 1(51)सा0प्र0/11/64 जयपुर, दिनांक 26 जून, 1975

आज्ञा
- - - -

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20 मार्च, 1975 के क्रम में राज्य के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों व न्यायालयों (राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व लोकायुक्त सचिवालय को छोडकर) के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दैनिक कार्यकाल पूर्व की भांति मंगलवार दिनांक 1 जुलाई, 1975 से पूर्वान्ह 10-00 बजे से सायं 5-00 बजे तक रहेगा तथा अल्पाहार का समय 1-30 बजे से 2-00 बजे तक होगा और प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रखा जावेगा ।

आज्ञा से,

(विजय शर्मा)
उप शासन सचिव ।

कृ0पृ0उ0- - - -2-